



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2018/माघ 17, 1939

No. 67]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2018/MAGHA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2018

सं. 24/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 146(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका में,

- (i) क्रम सं. 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 85 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम सं. 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम सं. 87 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (v) क्रम सं. 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुबंध में, सशर्त सं 4, 5, 6 और 7 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 354/78/2009-टीआरयू (भाग)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

**टिप्पणः—** मूल अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं. 6/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 सा.का.नि. 109 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2018

**No. 24/2018-Customs**

**G.S.R. 146(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(A) in the Table,-

- (i) S.No. 84 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S.No. 85 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S.No. 86 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) S.No. 87 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) S.No. 88 and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) in the ANNEXURE, condition numbers 4, 5, 6 and 7 shall be omitted.

[F. No. 354/78/2009-TRU (Pt.)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

**Note:—** The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 6/2018-Customs, dated the 2nd, February 2018, published vide number G.S.R. 109 (E), dated the 2nd, February 2018.